



2026:AHC: 41374-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 2918/1988

रिधपाल सिंह व अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: पं० मोहन चंद्र

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

न्यायालय संख्या-44

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

दिनांक 3 अगस्त, 2018 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी संख्या 1, ऋचपाल सिंह, अपीलार्थी संख्या 2, सिंगारा सिंह और अपीलार्थी संख्या 4, बग्गा सिंह के संबंध में यह अपील उपशमित करने का आदेश दिया गया था। यह अपील केवल अपीलार्थी संख्या 3, सुच्चा सिंह के संबंध में बची हुई थी।

दिनांक 30.08.2018 को, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था।

"रजिस्ट्री के कंप्यूटर अनुभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वाद शीर्षक में दिखाए गए अपीलार्थी संख्या 1/रिधपाल का नाम रिधपाल के स्थान पर ऋचपाल के रूप में संशोधित किया जाए।

रिपोर्ट आगे यह इंगित करती है कि अपीलार्थी संख्या 3, सुच्चा सिंह को रामपुर कारागार में तामील किया गया था, फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

सुनवाई के लिए 12.11.2018 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।"

कार्यालय आख्या दिनांक 27.09.2025 में इस तथ्य को दर्ज किया गया कि तीसरे अपीलार्थी सुच्चा सिंह सहित सभी अपीलार्थी मृत हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर ने अपनी रिपोर्ट (फ्लैग 'ए') में उन अन्य अपीलार्थियों की मृत्यु की सूचना दिया है, जिनकी अपीलें पहले ही उपशमित हो चुकी हैं, जिसमें सुच्चा सिंह पुत्र सिंगारा सिंह की मृत्यु उनकी रिपोर्ट से लगभग दो वर्ष पूर्व होना बताया गया है। उन्होंने थाना-स्वार, जनपद-रामपुर में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक मनवीर सिंह का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने मामले में जाँच किया और सुच्चा सिंह सहित अन्य की मृत्यु की सूचना दिया था।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान अमन प्रीत कौर का बयान भी दर्ज किया है, जिन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही दिया है कि अन्य अपीलार्थियों के अलावा सुच्चा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रधान द्वारा दिए गए बयान से दो वर्ष पूर्व सुच्चा सिंह की मृत्यु होना बताया गया है।

अभिलेख पर ग्राम प्रधान का दिनांक 29.01.2025 का एक प्रमाण पत्र भी मौजूद है। इसी साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी संख्या 3, सुच्चा सिंह को मृत घोषित किया है।

इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि सुच्चा सिंह पुत्र सिंगारा सिंह की मृत्यु हो चुकी है और इस अपील को उपशमित करने का निर्देश देते हैं क्योंकि अपीलार्थी संख्या 3 एकमात्र शेष बचे अपीलार्थी थे।

इस अपील के कागजात अभिलेखागार में संचित किए जाएं और इस आदेश की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय के अभिलेख तत्काल विचारण न्यायालय को वापस भेजे जाएं।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

24 फरवरी, 2026

प्रशांत डी०